शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 31-7 अगस्त 2023 मूल्य पांच रूपए

भयानक होंगे प्रशासन में बढ़ती अराजकता के परिणाम

- उच्च न्यायालय के कड़े संज्ञान के बावजूद सरकार के स्तर पर कोई कारवाई क्यों नहीं?
- अधिकारियों पर लगने वाले आरोपों को कब तक नजर अन्दाज किया जायेगा?
- क्या भ्रष्टाचार को संरक्षण देना व्यवस्था परिवर्तन है?

शिमला/शैल। जब किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई अदालत दण्डित कर देती है या उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर देती है तो इसका संज्ञान लेकर सरकार भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कारवाई करती है ताकि अदालत से लेकर जनता तक सभी स्तरों पर सरकार के खिलाफ कोई उंगली न उठे। किसी के खिलाफ कोई शिकायत आ जाये या कोई वर्ग कर्मचारियों से लेकर जनता तक रोष प्रकट कर दे तो ऐसे मामलों का निराकरण करने के लिये वाकायदा एक जांच बिठाकर सच्चाई का पता लगाया जाता है ताकि किसी के भी खिलाफ कोई ज्यादती न हो जाये। ऐसा इसलिये किया जाता है क्योंकि सरकारें लोक लाज और जन विश्वास से चलती हैं। यह चर्चा करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ घटा उसमें यह सरकार इन मानकों पर खरी नहीं उतरी है। पिछले दिनों प्रदेश उच्च न्यायालय में आये दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने जिस तरह के आदेश-निर्देश पारित किये हैं उससे यह चर्चा उठ खड़ी हुई है कि क्या प्रशासन अराजक और संवेदनहीन होता जा रहा है। एक मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर आधारित खण्डपीठ ने मण्डी के धर्मपुर खण्ड के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने के आदेश सुनाएं हैं क्योंकि पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी अदालत के आदेशों की अनुपालना नहीं की। शिक्षा विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन चन्द्र की खण्डपीठ ने शिक्षा सचिव के वेतन अटैच किये जाने के आदेश किये हैं। बल्कि खण्डपीठ ने यहां तक कहा है कि वह अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुनय पर अधिकारी को जेल न भेजकर केवल वेतन ही अटैच कर रहे हैं। इन मामलों से पहले उच्च न्यायालय पर्यटन के एक मामले में जुर्माना लगा चुका है। जिसका सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी नेशनल हैल्थ मिशन के आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये तीन कर्मचारियों को यह कहकर हटा दिया गया कि उनका कार्य संतोषजनक नहीं था। जबकि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अधिकारी के आवास पर काम करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पास भी अपना पक्ष रखा है। एक कर्मचारी दिव्यांग है। लेकिन सरकार में किसी ने भी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रदेश में करीब चालीस हजार कर्मचारी आऊटसोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उन पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह एक पत्र जो प्रधानमंत्री को किसी ने भेजा था और उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय तक पर टिप्पणी थी उसका भी सरकार में किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें यह शिकायत है कि सरकार में कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ लामबन्द होने के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जबकि सरकार बनने पर लाखों नौकरियां देने की गारन्टी कांग्रेस ने दी है। लेकिन यह गारन्टीयां पूरी हो पायेगी इसमें संदेह पनपने लग गया है। ऐसे में यह सवाल उठने लग पड़ा है कि सरकार में ऐसी अराजकता जैसी स्थिति क्यों बनती जा रही है। विपक्ष लगातार आक्रामक होता जा रहा है और सरकार तथा संगठन में विपक्ष को कारगर जवाब देने वाला कोई सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र किसी की समझ ही नहीं आ पा रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैन्स का दावा करने वाली सरकार अभी तक चुनाव के दौरान जारी की गई कांग्रेस की ही चार्जशीट को अभी तक विजिलैन्स को नहीं भेज पायी है। बल्कि सरकार बनने के बाद भी भ्रष्टाचार के कई संगीन मामले मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचकर वहीं रुक कर रह गये हैं। इससे व्यवहारिक तौर पर यह संदेश जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई करना इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। इस समय प्रशासन जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे यही संदेश जा रहा है कि प्रशासन लगातार अराजकऔर संवेदनहीन होता जा रहा है। क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व इस प्रशासन से जवाब मांगने की स्थिति में ही नहीं रह गया है। क्योंकि जब सरकार के एक मंत्री ने अफसरशाही को सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि वह लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास न करें। तब यह लगा था कि शायद मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्री के आक्षेप का संज्ञान लेकर शीर्ष प्रशासन को कोई कड़ा संदेश देने का दम दिखाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं कुछ और ही हैं।

सरकार की नीयत ही नहीं आपदा प्रभावितों को तत्काल मिले राहत:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि वह आपदा प्रभावितों को जल्दी से जल्दी राहत दे। अभी तक सरकार सभी आपदा प्रभावितों को फ़ौरी राहत भी नहीं पहुंचा पायी है। पूरी सहायता राशि तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि आपदा से नुक़सान के आकलन में लगे राजस्व अधिकारियों को नुक़सान के आकलन के लिए सरकार किसी प्रकार प्रकार के वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही है जिससे राजस्व अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर शीघ्रता से नुक़सान का आँकलन करके अपनी रिपोर्ट भेज सकें। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद शासन-प्रशासन की तरफ़ से आपदा प्रभावितों को पूरी सहायता राशि मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बार आपदा से बहुत बड़े क्षेत्र को नुक़सान हुआ है। जिसका आकलन करने में ज्यादा समय लगेगा। इसलिये सरकार राजस्व अधिकारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए। जिससे आपदा के आकलन के कार्य में तेज़ी आये और आपदा प्रभावितों को मदद मिल सके।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से पता चल रहा है कि आपदा से हुए नुक़सान का आकलन करने के लिए राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है लेकिन वह आपदा प्रभावित क्षेत्र तक कैसे पहुंचेंगे सरकार की तरफ़ से इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों में सड़कें ख़राब होने की वजह से बस सेवाएं बहाल नहीं हो पायी हैं। अत: राजस्व के अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में राजस्व अधिकारी या तो लोगों से मदद माग कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं या पैदल चलकर। सरकार की इस लापरवाही का नुक़सान आपदा प्रभावित लोगों को उठाना पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक राजस्व अधिकारी अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करेंगे तब तक आगे की कारवाई नहीं होगी। न ही आपदा से कितने लोग प्रभावित हुये है, इस बात की जानकारी मिल पायेगी और न ही लोगों को किस प्रकार से नुक़सान हुआ है, इस बात की जानकारी मिल पाएगी। राजस्व अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए सरकार आपदा प्रभावितों के निरीक्षण में जुटे राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये।

केंद्र सरकार से त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई भारी क्षति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश से सड़कों और पुलों के बह जाने, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, विद्युत आपूर्ति लाइनों सहित सार्वजनिक एवं निजी सम्पति का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। उन्होंने बाढ़ से लारजी परियोजना को हुए नुकसान से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया।

उन्होंने राहत एवं पुनर्वास अभियान में तेजी लाते हुए राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए तुरंत एक केंद्रीय दल भेजा गया। उन्होंने कहा कि इस दल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्य को हरसम्भव मदद का भी आश्वासन दिया।

केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन और बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लगभग 8000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्वयं के अल्प संसाधनों से राहत और बहाली अभियान चलाया जो राज्य के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में उन्होंने केंद्र से समर्थन और सहायता का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र से 2 हजार करोड़ रुपये तुरंत प्रदान करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं बाढ़

से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्रातिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग एक से दो वर्ष का समय लगेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने अवगत करवाया कि आपदा राहत के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र से प्राप्त निधि सम्बंधित विभागों और उपायुक्तों को राहत अभियान के लिए जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019–2020 तथा वर्ष 2020–2021 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लम्बित 315 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाये, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के विपरीत बहुत कम है।

गृह मंत्री ने राज्य को हरसम्भव सहायता का आश्वासन दिया।

राज्यपाल ने जारी की हिमाचल की जनजातीय बोलियों की शब्दावली

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश की जनजातीय बोलियों की शब्दावली जारी की।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के जनजातीय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. चन्द्र मोहन परसीरा ने जनजातीय लोगों की मदद से यह शब्दावली तैयार की है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने टीम के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए शोध कार्य के लिए उनकी सराहना की।

सेब दिवस के दौरान किसानों को उच्च घनत्व सेब की खेती के बारे में दी जानकारी

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पहले मुख्यमंत्री डॉ.यशवंत सिंह परमार को उनकी 117वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर विश्वविद्यालय में सेब दिवस का आयोजन भी किया गया जिसमें शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के 150 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा डॉ. परमार, जिनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल के इस दूरदर्शी नेता के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण इस संस्थान के सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार के पास वैज्ञानिक दृष्टि थी और उन्होंने कल्पना की थी कि टिकाऊ बागवानी और वन संसाधन हमारी भविष्य की आर्थिक समृद्धि का आधार हैं।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा उच्च घनत्व वाले सेब बागानों के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए फल विज्ञान विभाग के सेब के बगीचे में सेब दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पीछे का विचार सेब की सघन खेती के बारे में किसानों को अवगत कराया और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। फल विज्ञान विभाग के एचओडी डॉ. डीपी शर्मा और विभिन्न विभागों के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों को सघन खेती के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत करवाया। इसके उपरांत, विस्तार शिक्षा निदेशालय में किसान–वैज्ञानिक संवाद भी आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पोषक तत्व प्रबंधन,

कीट–पतंगों, बीमारियों, प्राकृतिक खेती और समग्र उद्यान प्रबंधन पर किसानों के प्रश्नों का समाधान किया।

इसके अतिरिक्त, प्रसिद्ध मशरूम उद्यमी और देहरादून की हान एग्रो केयर और हिरेशा मल्टीवर्स के सीईओ डॉ. हिरेशा वर्मा की एक विशेष लेक्चर संकाय और छात्रों के लिए आयोजित किया गया। डा. हिरेशा ने बताया कि उन्होंने 2000 रुपये से अपना मशरूम उद्यम शुरू किया और इस वर्ष उनकी कंपनी मशरूम से 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करने की उम्मीद है। उन्हें 'हिमालय की मशरूम क्वीन' की उपाधि मिली है और वह देश की शीर्ष 75 महिला उद्यमियों में भी शामिल हो चुकी हैं। डॉ. हिरेशा ने औषधीय मशरूम उगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से अधिक महिलाओं को आजीविका कमाने में मदद की है। उन्होंने छात्रों से कृषि–बागवानी क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर तलाशने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉ. चंदेल ने छात्रों और शिक्षकों के साथ अपनी उद्यमशीलता यात्रा साझा करने और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए डॉ. हिरेशा को धन्यवाद दिया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने चारों ओर देखें और ऐसे नये व्यवसाय शुरू करें जो किसानों की समस्याओं का समाधान करें और उनकी उपज में मूल्य जोड़ें। सत्र में सभी वैधानिक अधिकारी सहित दोनों कॉलेजों के संकाय और छात्र इस सत्र में शामिल हुए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

आग की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में आग की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने एवं इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार अग्निशमन प्रबंधन को और सुदृढ़ कर रही है। इसके तहत रणनीतिक अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, अग्नि कर्मियों एवं निधि की पर्याप्त उपलब्धता, इस तरह की घटनाओं पर गहन अनुसंधान, जागरूकता अभियान, विभिन्न विभागों में बेहतर आपसी समन्वय इत्यादि सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसी घटनाओं से बचाव के दृष्टिगत बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है ताकि बहुमूल्य जीवन और सम्पति को आग जैसी अनचाही घटनाओं से होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है ताकि आग की घटनाओं से निपटने के लिए त्वरित एवं समयबद्ध कदम उठाए जा सकें। सामान्य आग की घटनाओं तथा तेल से लगने वाली आग से निपटने के लिये हाल ही में 10 उच्च तकनीक युक्त अग्निशमन वाहन प्रदान किये गये हैं। इन वाहनों में फोम तैयार करने की मशीनें लगाई गई हैं जिससे इनकी क्षमता में और वृद्धि हुई है। अग्निशमन सेवाओं में इन आधुनिक वाहनों की उपलब्धता से अब राज्य में अग्निशमन वाहनों की संख्या 230 हो गई है।

अग्निशमन विभाग को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने तीन नये अग्निशमन उपकेंद्र लाहौल–स्पिति जिला के काजा, चम्बा के किलाड़ तथा हमीरपुर ज़िला के नादौन में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शिमला जिला के देहां में अग्निशमन चौकी स्थापित की जाएगी।

अग्निशमन सुरक्षा के अंतर्गत प्रभावी योजना और ढांचागत डिजाईन में बदलाव लाते हुये आग जैसी घटनाओं में इसे और अधिक फैलने तथा कारगर ढंग से नियंत्रित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राज्य में अग्निशमन सेवाओं को और सुदृढ़ करने के दृष्टिगत एक करोड़ 60 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित की गई है। इसके साथ ही अग्निशमन केंद्रों के निर्माण और कार्यालय तथा आवासीय सुविधाओं के लिए 9.80 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे अग्निशमन कर्मियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही कार्य करने के लिए बेहतर माहौल मिल सकेगा जिससे आग जैसी घटनाओं से निपटने में उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया

नदी किनारे आपदा नुकसान न्यून करने के लिए तकनीकी दल का गठन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू जिला में हाल ही में आयी आपदा से हुये नुकसान का संयुक्त रूप से जायजा लिया। दोनों ने जिले के सर्वाधिक प्रभावित बड़ा भुईन, देवधार, शिरड़, कलाथ और आलू ग्राउंड मनाली का दौरा भी किया।

उन्होंने आपदा प्रभावितों से संवाद किया और इस चुनौतीपूर्ण समय में उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा प्रथम बार देखी गई है जिसने राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत केंद्र से इस आपदा से उबरने में हिमाचल को उदार सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गत माह 7 से 11 जुलाई के मध्य हुई भारी बारिश से प्रदेश में सम्पति के साथ-साथ सड़कों और पुलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में परिवहन के अन्य साधन सीमित हैं और ऐसे में सड़कें राज्य की जीवन रेखा मानी गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे का उनका आग्रह तुरंत स्वीकार किया है जिसके लिए वह उनके आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर से भी आग्रह किया कि आपदा की इस घड़ी में वह राज्य सरकार को खुले मन से सहयोग दें ताकि प्रभावितों की पीड़ा को कम किया जा सके।

पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश एवं भू-स्खलन से सड़कों, पुलों और अन्य सम्पदा का भारी नुकसान हुआ है और आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रभावितों को हरसम्भव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है जोकि उनकी कल्पना से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि मरम्मत एवं बहाली का कार्य युद्धस्तर पर सुनिश्चित करने के दृष्टिगत केंद्र सरकार की ओर से सीआरआईएफ के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गो के आस-पास एक किलोमीटर तक सम्पर्क मार्गो की मरम्मत का व्यय भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदी के बहाव से कई स्थानों पर सड़कें बह गई हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को न्यून करने के दृष्टिगत एक तकनीकी दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी तीन-चार दिनों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर, स्थिति का जायजा लेगा। उन्होंने कहा कि नदी किनारे चट्टानों और सिल्ट के जमा होने से इसके बहाव में दिशा परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के दृष्टिगत नदी किनारों को दो से तीन मीटर गहरा खोद कर कंकरीट से इसे भरा जाएगा तथा यहां उपलब्ध चट्टानों से एक मजबूत दीवार निर्मित करने की सम्भावनाएं भी तलाशी जायेंगी। उन्होंने इसमें प्रदेश सरकार से भी सहयोग का आहवान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत का पूरा खर्च केंद्रीय मंत्रालय वहन करेगा।

नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में 12,500 करोड़ रुपये की लागत से 68 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कीरतपुर-मनाली फोरलेन सड़क का मरम्मत कार्य आगामी दो से तीन माह में पूरा कर, शीघ्र ही इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव रोप-वे के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहपुर-सिहुंता सड़क के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इस पर सीआरआईएफ के अंतर्गत 52 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त 49 करोड़ रुपये की लागत से रंगस-मैहरे वाया बागछल सड़क के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ों से चट्टानें इत्यादि गिरने की समस्या हमेशा बनी रहती है और इससे पार पाने के लिए एक अध्ययन कर इसकी सिफारिशों से राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जाएगा।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर, विधायक रवि ठाकुर, भुवनेश्वर गौड़, अरूण शौरी, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, पूर्ण चंद ठाकुर, उपायुक्त आशुतोष गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की सजा पर रोक के निर्णय का स्वागत किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंत में सत्य की जीत हुई है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में लगातार केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और विघटनकारी राजनीति के विरूद्ध आवाज उठा रहे थे, इसीलिए केन्द्र सरकार ने उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का षडयंत्र रचा। भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन से जनता की आवाज बन चुके राहुल गांधी की संसद सदस्यता केन्द्र सरकार के इशारे पर जल्दबाजी में समाप्त कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अब जल्द ही संसद में जा सकेंगे और एक बार फिर नफरत की राजनीति के खिलाफ लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे तथा जनता के मसलों को जोरदार ढंग से संसद में उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है बल्कि पूरा विपक्ष एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 के आम चुनावों में 'इंडिया' पूरी मजबूती के साथ भाजपा की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करेगा।

हिमक्राफ्ट ब्रांड से जाना जाएगा राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम

शिमला/शैल। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम 'हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन' करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस रीब्रॉडिंग का उद्देश्य निगम के कार्य को विस्तार प्रदान करना और बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए तीन श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक शिल्प में उत्कृष्ट हुनर की पहचान कर प्रोत्साहन प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि आगामी चार वर्षो में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और अगले दस वर्षो में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बन कर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल ही में प्राकृतिक आपदा के कारण 8 से 10 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान और पर्यटन क्षेत्र में इसके प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया। इस अवसर पर गेयटी थिएटर में पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में फैशन शो का भी आयोजन किया गया।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिनकी देश और विदेशों में भारी मांग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों, संस्कृति और हथकरघा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हथकरघा उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है और हिमक्राफ्ट नाम से एक नया लोगो भी जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय आपदा के दौर से गुजर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम ने राज्य सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यो की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनारथा और विनोद सुल्तानपुरी, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, महापौर सुरेंद्र चौहान, प्रबंध निदेशक राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम जतिन लाल, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

अगस्त माह के लिए आवंटित चीनी के साथ दिया जाएगा जुलाई माह का शेष कोटा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रवक्ता ने बताया कि निगम प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को चीनी का निर्धारित कोटा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा जुलाई, 2023 माह के लिए 36,206 क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। इसमें से 25,202 क्विंटल चीनी अत्याधिक वर्षा के कारण शाहबाद चीनी मिल में सभी गोदामों में पानी भरने के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस चीनी की मात्रा को अगस्त, 2023 माह के लिए जारी किये गये आपूर्ति आदेश में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगस्त, 2023 माह के लिए 60,121 क्विंटल चीनी का आपूर्ति आदेश जारी किया गया है और एक-दो दिनों में प्रदेश के सभी गोदामों में चीनी की प्राप्ति शुरू होने की संभावना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अगस्त, 2023 माह के आवंटित चीनी के साथ जुलाई माह की शेष बची चीनी की मात्रा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री ने बालीचौकी में की राहत-पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिले के बाढ़ प्रभावित बालीचौकी क्षेत्र का दौरा कर वहां राहत-पुनर्वास कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से फौरी राहत राशि दी जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि उनके पुनर्वास के लिए आगे भी हर तरह से मदद की जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार पीड़ितों के साथ कंधो से कंधा मिला कर खड़ी है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किटें भी वितरित की।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के थलौट, करसोग और जंजैहली डिवीजन को तय बजट के अलावा फौरी तौर पर मरम्मत कार्यो के लिए 1.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के मरम्मत कार्यो को शीघ्र करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बाढ़ में जिन परिवारों के घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उनका सुरक्षित जगह पर पुनर्निर्माण के लिए मामला बनाया गया है। इसके लिए प्रक्रियागत औपचारिताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मामले को और गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बड़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

यह राहुल की जीत है या मोदी भाजपा की हार

सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सी.जे.एम. की अदालत से मानहानि के मामले में मिली दो वर्ष की सजा को अन्तिम फैसला आने तक स्थगित कर दिया है। राहुल को यह राहत सैशन कोर्ट और गुजरात उच्च न्यायालय से भी नहीं मिली थी। दो साल की सजा मिलने से उनकी सांसदी और इस नाते मिला हुआ सरकारी आवास भी छिन गया था। यह सजा मिलने के बाद इस फैसले की अपील सत्र न्यायालय में की गयी जो अब तक लंबित है। इसी के साथ इसमें मिली सजा को स्थगित रखने की याचिका भी दायर की गयी थी। जिसको सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और अब सर्वोच्च न्यायालय से यह राहत मिली है। यह राहत मिलने से राहुल की संसद सदस्यता और आवास दोनों बहाल हो जायेंगे। राहुल के खिलाफ सदस्यता और आवास छीनने की कारवाई को 24 घंटे के भीतर अन्जाम दे दिया गया था लेकिन अब बहाली में वही तेजी नहीं दिखाई जा रही है। जब सजा का फैसला आया था तब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा नेताओं की आयी थी और वह बहाली में लगाई जा रही देरी से यह सन्देश जाने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राहुल की जीत से ज्यादा यह मोदी भाजपा की हार तो नहीं बन गया है।

भारतीय दण्ड संहिता निर्माताओं ने हर अपराध की गंभीरता को आंकते हुए उसमें अधिकतम दण्ड का प्रावधान किया हुआ है जो आजीवन कारावास और मृत्यु दण्ड तक का है। मानहानि के मामले में अधिकतम सजा दो वर्ष की है। किसी भी अपराध में जब कोई न्यायधीश अधिकतम सजा सुनाता है तब उसमें वह यह कारण भी दर्ज करता है कि अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में अधिकतम सजा के आधारों की व्याख्या ही नहीं की है। जब राहुल सत्र न्यायालय और फिर गुजरात उच्च न्यायालय में अपील में गये तो वहां भी मान्य अदालतों ने इस पक्ष का संज्ञान ही नहीं लिया। यदि राहुल गांधी को इस मामले में दो वर्ष से एक दिन की भी सजा कम होती तो उनकी संसद सदस्यता न जाती। इसलिए आम आदमी में यह धारणा बनती जा रही है कि राहुल को संसद से बाहर रखने के लिये यह मामला बनाया गया था। इस सजा के बाद ही गुजरात में मोदी समाज का अधिवेशन हुआ और गृह मन्त्री अमित शाह उसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी को समाज का रत्न कहा गया। राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला करने वाले पूर्णेश मोदी को महिमा मण्डित किया। इस मामले में जो कुछ घटा है उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आज प्रधानमन्त्री से लेकर पूरी भाजपा तक राहुल से डरी हुई है।

2014 में जब से मोदी ने सत्ता संभाली है तब से लेकर आज तक राहुल और नेहरू गांधी परिवार को घेरने के लिये जो कुछ भी इस सरकार ने किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वत: ही राहुल से हल्के पड़ते जा रहे हैं। एक नेता को संसद से बाहर रखने के लिये इस सीमा तक जाना कई सन्देशो और आशंकाओं की आहट मानी जा रही है। 2024 के चुनावों को टालने से लेकर कुछ भी घट सकता है। क्योंकि इस समय जो बहुमत संसद में भाजपा को हासिल है उसके सहारे हिंदुत्व को लाने के लिये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के नाम से जो भारत का नया संविधान कुछ अरसे से वायरल होकर बाहर आया है उस पर संघ से लेकर भारत सरकार तक सबकी चुप्पी अपने में बहुत कुछ कह जाती है। हिंदुत्व को संवैधानिक तौर पर लागू करने के जो निर्देश एक समय मेघालय उच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से भारत सरकार तक 2019 में आ चुका है उस पर भी अभी तक की खमोसी अर्थ पूर्ण लगती है।

भारत में सशक्त होते खादी के पारम्परिक उद्योग

स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 2022–23 में 1.3 4 लाख करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ऊंचाई पर

खादी की बिक्री 2013–14 में 1,081 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022–23 में 5,943 करोड़ रुपये हुई

खादी के साथ देशवासियों का जुड़ाव रोजगार को बढ़ावा देने के साथ–साथ नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

निमिष रुस्तगी, हिमांशु पाठक, अपूर्वा महिवाल

पिछले 9 सालों में, भारतीय कारीगरों द्वारा खादी के चरखे पर बुनी गई क्रांति को पूरी दुनिया देख रही है। 'आत्मनिर्भर भारत' नाम की यह क्रांति भारतीयों के 'भावनात्मक मूल्यों' को दर्शाती है। यह स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता और महत्व का प्रतीक है। वर्तमान में 'खादी' हमारे राष्ट्र की प्रगति का अभिप्राय बन गई है।

खादी उद्योग, भारत के सबसे प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में से एक है। यह उद्योग न केवल कारीगरों के लिए बिक्री और रोजगार के अवसरों को सृजित करता है, बल्कि निर्यात क्षमता, जीडीपी को भी मजबूत करता है। साथ ही ग्रामीण विकास और उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है।

आर्थिक विकास

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने भारत में सर्वश्रेष्ठ एफएमसीजी कंपनियों के कारोबार को भी पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर समर्थन के कारण, केवीआईसी ने पहली बार 2022–23 में 1.34 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया है। देश में वर्ष 2013–14 में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों का कारोबार 31,154 करोड़ रुपये था।

2013–14 से 2022–23 तक कारीगरों द्वारा निर्मित स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में खादी वस्त्रों के उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ौतरी देखने को मिली है। वर्ष 2013–14 में खादी का उत्पादन 811 करोड़ रुपये था, 260% की उछाल के साथ 2022–23 में 2916 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गया है। 2013–14 से 2022–23 के बीच खादी वस्त्रों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। 2013–14 में जहां इसकी बिक्री महज 1081.04 करोड़ रुपये थी, वहीं वर्ष 2022–23 के दौरान यह 450% बढ़कर 5942.93 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गई है।

खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री में हो रही वृद्धि का लाभ इस क्षेत्र से जुड़े कामगारों को भी मिल रहा है। 2013–14 के बाद से उनके पारिश्रमिक में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है। इन कामगारों व बुनकरों के निरंतर प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण खादी क्षेत्र में यह उल्लेखनीय प्रगति संभव हुई है।

ग्रामीण उद्योगों और सामुदायिक विकास सशक्त बनाती खादी

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में ग्रामीण पुनरोद्धार आवश्यक भूमिका निभाता है। बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता, चरखा और करघे जैसी मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी और डिजाइनों के विकास में काफी वृद्धि हुई है। भारत सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों ने खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विकास में अहम योगदान दिया है। केवीआईसी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2021 में एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म eKhadiIndia.com का अनावरण किया, जो 50,000 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

देश में ग्रामीण पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने, विकसित करने और मजबूत करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कई अन्य पहल की है, उदाहरणार्थ केवीआईसी अपने ग्रामोद्योग कार्यक्रम के माध्यम से शहद और मधुमक्खी पालन, ताड़ के गुड़, मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित कागज और चमड़ा उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करने, आय बढ़ाने और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को कार्यक्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु सिलाई मशीन प्रदान करने के साथ–साथ सिलाई प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। वर्ष 2013–14 से अब तक देश भर में 7.43 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और कारीगरों को जरूरत आधारित टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, 'वोकल फॉर लोकल' की अपील ने खादी को देश और विदेश में लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना

पिछले कुछ वर्षों में, केवीआईसी का मुख्य ध्येय कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना रहा है। इसी प्रकार केवीआईसी ने वर्ष 2013–14 में सृजित 5 .6 लाख नये रोजगार अवसरों की तुलना में 2022–23 में कुल 9.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ।

यही नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, देश के युवाओं को स्वदेशी अभियान से जोड़कर राष्ट्र ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पीएमईजीपी की 80% से अधिक इकाईयां ग्रामीण ईलाकों में स्थापित की जाती हैं, जिनमें से 50% से अधिक ईकाइयों का नेतृत्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों द्वारा किया जाता है। इससे देश में महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमियों को बल मिला है। पीएमईजीपी के तहत, 2022–23 के दौरान 8.69 लाख नई परियोजनाओं की शुरुआत करके कुल 73.67 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसमे 2008–09 से 2022–23 तक 21870.18 करोड़ रुपये की कुल मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गयी है। इसके अलावा, केवीआईसी अपने प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य संवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित करता है ताकि पारंपरिक उद्योगों में स्व–रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकें।

संक्षेप में, खादी उद्योग न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार और सतत विकास का एक अनिवार्य स्रोत भी है। खादी उद्योग को बढ़ावा देकर राष्ट्र ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किए हैं, जिससे देश की समग्र प्रगति में योगदान मिला है।

सरकार द्वारा महिला उद्यमियों की वित्तीय सहायता के लिए उठाये गये कदम

शिमला। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पर्याप्त वित्तीय पहुंच और निर्बाध ऋण सुनिश्चित करने के लिए चल रही स्कीमों सहित विभिन्न उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो स्वरोजगार पैदा करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।

✔ क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की कोलेट्रल और तीसरे पक्ष की गारंटी की परेशानी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

✔ आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश

✔ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11 जनवरी 2023 को उद्यम सहायता मंच का शुभारंभ, 02.07.2021 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।

✔ एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में गैर–कर लाभ तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के स्वामित्व वाली अनेक महिला उद्यमियों को पंजीकृत किया गया है। कुल उद्यम पंजीकरण में से 19 प्रतिशत एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और एसआरआई फंडों के अंतर्गत महिला उद्यमियों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. क्रेडिट गारंटी योजना: एमएसएमई मंत्रालय सीजीटीएमएसई के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है, ताकि एमएसई को 500 लाख रुपये (01.04.2023 से) की सीमा तक कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके, जिसमें महिलाओं को ऋण के लिए 85 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज है, जबकि सामान्य दर 75 प्रतिशत है। प्रारंभ होने के बाद से 30 जून 2023 तक 4.50 लाख करोड़ रुपये की राशि वाली कुल 72.59 लाख गारंटी को मंजूरी दी गई है। इसमें से 65,209 करोड़ रुपये की 15.10 लाख गारंटी महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई को दी गई है।

2. आत्मनिर्भर भारत फंड: भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये लगाने के लिए फंड की घोषणा की है। इसे आत्मनिर्भर भारत एसआरआई फंड के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपये के फंड के कुल आकार में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपये और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है। 30 जून 2023 तक और प्रारंभ होने के बाद से कुल 45 डाटर फंड एनवीसीएफएल मदर फंड के साथ सूचीबद्ध किए गए हैं और 4,885 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के माध्यम से 342 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है, जिनमें से 60 महिलाओं के स्वामित्व में हैं।

सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ अन्य योजनायें/कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की शुरुआत 08 अप्रैल 2015 को की गई थी ताकि व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक के गारंटी–मुक्त प्रदान किए जा सकें। इसका उद्देश्य उन्हें अपनी व्यवसाय गतिविधियों को स्थापित या विस्तारित करने में सहायता देना है। यह योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रें और कृषि से संबंध गतिविधियों में आय सृजन गतिविधियों के लिए शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक और तरुण 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक नामक तीन श्रेणियों में की सुविधा प्रदान करती है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सदस्य संस्थानों, यानी बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। कोलेट्रल मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से सूक्ष्म इकाइयों के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है।

30.06.2023 तक और प्रारंभ होने के बाद से 24.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 42.20 करोड़ से अधिक लाख करोड़ रुपये की राशि 2900 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को वितरित की गई।

1. स्टैंड–अप इंडिया योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग 05.04.2016 को प्रारंभ हुआ था और इसकी अवधि वर्ष 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए और कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कर्जदार और एक–महिला कर्जदार को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के मूल्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की सुविधा प्रदान करना है। स्टैंड–अप इंडिया योजना भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से स्टैंड–अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के माध्यम से किसी भी कोलेट्रल सुरक्षा के बिना वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। एसयूपीआई ने देश भर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 1.90 लाख से अधिक ग्रीनफील्ड सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की सुविधा प्रदान की है। इसमें से 30 जून 2023 तक महिला उद्यमियों को 36,000 करोड़ रुपये की राशि के 1.60 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

आर्थिक सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगी सशक्त महिला ऋण योजना

योजना के तहत एक लाख रुपये तक के कोलेटरल–मुक्त ऋण की सुविधा

शिमला। सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलान्मुखी अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। सशक्त महिला ऋण योजना इन्हीं में से एक है। यह योजना महिलाओं की उद्यमशीलता को निखारने, आजीविकोपार्जन गतिविधियों में उनकी सहभागिता बढ़ाने और उनके परिवार तथा समाज के उत्थान के उद्देश्य से आरम्भ की गई है।

प्रदेश सरकार लैगिंक समानता की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए महिला आधारित योजनाओं के लिए अधिक से अधिक संसाधन आवंटित कर रही है। सशक्त महिला ऋण योजना के अंतर्गत महिलाओं को कोलेटरल–मुक्त सम्पार्श्विक सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे उन्हें अपने जीविकोपार्जन, लघु उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने, कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मशीनरी एवं उपकरण इत्यादि की खरीद के लिए वित्तीय मदद सुनिश्चित हो सकेगी। जमानत के लिए बहुमूल्य संसाधन न होने के कारण अधिकांश महिलाएं स्वरोजगार की ओर उन्मुख नहीं हो पाती हैं और ऐसे में उपभोग्य सुरक्षा कोलेटरल–मुक्त उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करेगी। यह योजना आर्थिक असुरक्षा की उनकी चिंताओं को समाप्त करते हुए महिला सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगी।

योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 21 हजार रुपये, 51 हजार रुपये और एक लाख एक हजार रुपये की। सुविधा प्रदान की जाएगी। 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग की ऐसी महिलाएं जिनके परिवार से दो बैंक खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में संचालित हों, इसके लिए पात्र हैं। प्रथम के रूप में उन्हें 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी अवधि 5 साल है और भुगतान की समान मासिक किस्त ईएमआई 431 रुपये निर्धारित की गई है। निर्धारित 12 से 15 माह की अवधि में बिना किसी चूक के प्रथम का भुगतान करने पर लाभार्थी 51 हजार रुपये के दूसरे के लिए पात्र होंगी जिसके नियम एवं शर्तें पहले के समान ही होंगी। इसकी ईएमआई 1047 रुपये प्रतिमाह होगी। इसमें भी 12 से 15 माह की अवधि में चुकता करने पर लाभार्थी एक लाख एक हजार रुपये के लिए पात्र होंगी। इसकी ईएमआई 2073 रुपये निर्धारित की गई है। इस सुविधा पर 8.51 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की गई है। ब्याज की न्यूनतम दर होने से भुगतान में सुविधा और महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी तथा वे अधिक गति से अपनी स्वतंत्र इकाईयां स्थापित कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त लाभार्थी महिला के सभी परिजनों के बचत खाते राज्य सहकारी बैंक में न्यूनतम राशि के साथ खोलने पर एटीएम शुल्क में शत–प्रतिशत छूट भी प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करना, लेन–देन के व्यय में कमी लाना और एक वित्तीय साक्षर समाज का निर्माण करना है।

यह योजना महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने और प्रदेश में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबधता को भी दर्शाती है। योजना के तहत बहुस्तरीय संवितरण, आकर्षक ब्याज दर और वित्तीय समावेशन के तहत विभिन्न प्रोत्साहन राज्य में महिलाओं के जीवन स्तर में और सुधार लाने की दिशा में प्रदेश सरकार की व्यापक सोच एवं दूरदृष्टि को भी रेखांकित करते हैं।

प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के तहत लैंगिक समानता पर विशेष बल दे रही है और इसी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए महिला सशक्तिकरण आधारित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए 4302.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जोकि कुल विकास बजट का 45.17 प्रतिशत है। इस राशि में से 415 करोड़ रुपये का प्रावधान शत–प्रतिशत महिला ऋण आधारित योजनाओं के लिए किया गया है जबकि 3882.40 करोड़ रुपये का प्रावधान 100 प्रतिशत से कम महिला ऋण आधारित योजनाओं के लिए किया गया है।

प्रत्येक महिला को शिक्षित करने, उनके कौशल में निखार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश ने अपनी आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भलीभांति पहचाना है और उन्हें समान अवसर एवं उनके कार्यो को मान्यता प्रदान करते हुए आर्थिक असमानता के ऐतिहासिक अंतर को कम किया है। सशक्त महिला ऋण योजना के रूप में प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक क्षमताओं को उभारने तथा समान एवं समृध समाज के निर्माण में क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश सरकार की इस दूरदर्शी पहल से महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों में बढ़ावा एवं सहयोग प्राप्त होगा। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, साथ ही प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक ढांचे में उनका प्रभावी ढंग से योगदान सुनिश्चित हो सकेगा।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा

शिमला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपनी डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 31 दिसंबर 2023 तक विस्तारित किये जाने की घोषणा की है। डीएचआईएस के माध्यम से एबीडीएम के अंतर्गत परिवर्तनकारी डिजिटलीकरण को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए अस्पतालों एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं व अस्पताल/स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2023 से शुरू किया गया था। यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों एवं कार्य प्रणालियों को अपनाने में बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित हुई है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य तकनीकी कंपनियों के प्रभाव तथा प्रतिक्रिया के कारण, अधिक हितधारकों को वित्तीय प्रोत्साहन से लाभान्वित करने के महत्वपूर्ण विचार को मूर्त रूप देने के साथ ही इस योजना का विस्तार किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस प्रोत्साहन योजना के विस्तार के पीछे के उद्देश्य के बारे पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एबीडीएम के तहत इस प्रोत्साहन योजना का विस्तार डिजिटल रूप से समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रतिबधता की पुष्टि करता है और पूरे देश में सुलभ एवं कुशल स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि डीएचआईएस जैसी पहल के साथ हम डिजिटल रूप से सशक्त स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग देने और सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं सहयोगियों को पहचानने तथा प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं।

डीएचआईएस के तहत, पात्र स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता कंपनियां एवं डिजिटल समाधान संगठन मरीजों द्वारा बनाए गए तथा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से जुड़े डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्ड की संख्या के आधार पर 4 करोड़ रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन अर्जित करने में सक्षम होंगे। इस प्रोत्साहन सुविधा का लाभ एबीडीएम की स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण के साथ पंजीकृत और योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं तथा डिजिटल समाधान संगठनों द्वारा उठाया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि डीएससी को दिए जाने वाले डीएचआईएस लाभ मूल्य में कमी लाने में योगदान देंगे या उनकी डिजिटलीकरण लागत आदि का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

अब तक, 567 सार्वजनिक एवं 638 निजी अस्पतालों/क्लिनिकों /नैदानिक प्रयोगशालाओं के साथ 1205 स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, पंजीकृत 25 डिजिटल समाधान संगठनों में से 22 निजी क्षेत्र से हैं। जून 2023 तक, करीब 120 स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं और 7 स्वास्थ्य तकनीकी कंपनियों को कुल 4.84 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिला है। प्रोत्साहन प्राप्तकर्ताओं में एम्स दिल्ली, एम्स रायपुर, एम्स भोपाल, लखनऊ के लोक बंधु राजनारायण कम्बाइन्ड हॉस्पिटल और केसी जनरल अस्पताल बेंगलुरु जैसे सरकारी अस्पताल तथा केजीएमयू, लखनऊ व केआईएमएस हुबली बेंगलुरु जैसे निजी अस्पताल शामिल हैं। इंदिरा पैथ लैब्स दिल्ली एवं लखनऊ, सहयोग पैथोलाजी लेबोरेटरी पुणे और लियो क्लिनिकल लैब कन्नूर जैसी डायग्नोस्टिक लैब तथा एनआईसी नेक्स्टजेन एचएमआईएस, सीडीएसी ईसुश्रुत, ड्रिफ़केस, एकाकेयर ओरबी हेल्थ, बजाज फिनसर्व व पेटीएम जैसी डिजिटल समाधान कंपनियां डीएचआईएस के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं में शामिल हैं।

अंब–अंदौरा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के लिए एबीएसएस में शामिल

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अन्तर्गत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिसमें हिमाचल प्रदेश का अम्ब–अंदौरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेलवे मंत्रालय द्वारा अम्ब–अंदौरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे अधोसंरचना के विकास का एक नया अध्याय शुरू किया है और देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में अम्ब–अंदौरा रेलवे

स्टेशन को शामिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इस स्टेशन के नवीनीकरण पर 20.74 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्य को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है।

राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, जिसमें सामरिक महत्व की भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेलवे लाइन के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये, चंडीगढ़–बद्दी रेलवे लाइन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये व नंगल–तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए लगभग 452 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रेल नेटवर्क मजबूत होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठों और अन्य पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे।

उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि अंबाला मंडल ने तकनीकी विशेषज्ञों और वास्तुकारों के परामर्श से स्थानीय कला और संस्कृति को चित्रित करते हुए अंब–अंदौरा रेलवे स्टेशन के लिए एक स्टेशन विकास योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि परामर्शदाताओं की सिफारिशों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर अंब–अंदौरा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत आधुनिक रूप देने के लिए विभिन्न नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक सर्कुलेशन में सुधार और सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस स्टेशन को पुनर्विकास योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार और इसके आधुनिकीकरण में व्यापक बदलाव किये हैं। उन्होंने कहा कि रेल बजट को नौ गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपये किया गया है और 6565 कि.मी. रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी रेलवे विस्तार और इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दौलतपुर चौक तक न केवल रेल लाइन पहुंचाई गई है, अपितु इसका विद्युतीकरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। आज रेलवे को स्मार्ट कोच, वंदे भारत, बायो टायलेट आदि सुविधाओं से आधुनिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अंब–अंदौरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के साथ इस स्टेशन में भी व्यापक बदलाव होंगे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्थानीय विद्यालयों के 18 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुदर्शन सिंह, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, रेलवे अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों के सत्यापन की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों के सत्यापन कार्यक्रम की समीक्षा की। मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों के सत्यापन का कार्यक्रम 21 जुलाई से आरम्भ हुआ है और 21 अगस्त, 2023 तक चलेगा। निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाए रखने के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर–घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित तिथि तक मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन सुनिश्चित करवाने तथा इसके दृष्टिगत विशेष रूप से तैयार किए गए ऑनलाईन पोर्टल को भी निरन्तर अद्यतन बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर जांच और सत्यापन के कार्य के पूर्ण होने के पश्चात इस आश्य का प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त सत्यापन कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में राजनैतिक दलों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन भी करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस सत्यापन कार्यक्रम के सम्पूर्ण होने के पश्चात विद्यमान मतदान केन्द्रों के भवनों का भौतिक सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये तथा हाल ही में सम्पन्न हुये विधानसभा निर्वाचन में नियुक्त किये गये सैक्टर अधिकारी की इस कार्य के लिए सेवाएं ली जाएं।

हिमाचल प्रदेश में कुल 55,22,702 विद्यमान मतदाता हैं, जिसमें 03 अगस्त, 2023 तक 13,771 छूटे हुए योग्य मतदाता तथा आगामी वर्ष, 2024 के लिए 35,045 भावी मतदाताओं की पहचान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में 1,842 दोहरे रूप में पंजीकृत, 12,613 मृत व 10,105 स्थाई रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं की पहचान की जा चुकी है। फोटो मतदाता सूची में 3,969 मतदाताओं की खराब व धुंधली फोटो को अद्यतन रंगीन फोटो से परिवर्तित करने के दृष्टिगत पहचान की जा चुकी है। अब तक 16,07,883 मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है जो कि कुल का 29.11 प्रतिशत है।

जीपीएफ रिकॉर्ड के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के विवरण में आहरण एवं वितरण अधिकारी बरतें सावधानी

शिमला/शैल। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 04 मई, 2023 को जारी अधिसूचना के तहत पुरानी पेंशन योजना लागू होने के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों व अधिकारियों ने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प चुना था, उन कर्मचारियों व अधिकारियों के पक्ष में सामान्य भविष्य निधि खातों का आवंटन हस्तचालित (मेनुअल) तौर से किया जा रहा था। 19 जुलाई, 2023 तक कुल 38368 सामान्य भविष्य निधि खाते आवंटित किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि इस कार्य की गति बढ़ाने के लिए महालेखाकार कार्यालय द्वारा स्वचालित (ऑटोमेशन) विधि अपनाए जाने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) के साथ वेबसाइट के माध्यम से 21 जुलाई, 2023 को जानकारी सांझा कर डी.डी.ओ. के लिए एक्सल शीट का एक लिंक भेजा गया है। इसके माध्यम से डाटा gpfcell.hmp.ae@cag.gov.in ई–मेल पर भेजने के लिए आग्रह किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस विधि के अन्तर्गत डी.डी.ओ. द्वारा ई–मेल से एक्सल शीट भेजी जा रही है। अब तक 2968 ई–मेल ए.जी. कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है और 4739 सामान्य भविष्य निधि खातों का आवंटन किए जाने के उपरान्त इन्हें कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है तथा लगभग 15000 से अधिक खाते 07 अगस्त, 2023 तक कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सम्भावना है।

प्रवक्ता ने बताया कि महालेखाकार कार्यालय का प्रयास है कि सामान्य भविष्य निधि लेखा आवंटन कार्य की प्रक्रिया में तेजी लायी जाये। आवंटित लेखा संख्या एक सप्ताह में दो बार मंगलवार व शुक्रवार को ई–मेल पर अपलोड की जाएंगी। उन्होंने डाटा भेजते समय डी.डी.ओ. से कुछ तथ्यों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है।

एक्सल शीट भरते समय पूर्ण सावधानी से दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इनके अन्तर्गत ई–मेल के माध्यम से एक्सल शीट भेजने के उपरान्त उसे दोबारा ई–मेल से न भेजें। अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर जानकारी कार्यालय की ई–मेल agaehimachalpradesh/cag.gov.in पर ही ई–मेल करें। एक्सेल शीट की प्रति ऑफलाइन (डाक) माध्यम से न भेजें। एक्सल शीट में जिन कॉलम से सम्बन्धित सूचना शून्य हो, उस कॉलम को पूरी तरह से खाली रखें और डैश या बिन्दु आदि का प्रयोग न करें। नाम के साथ श्री, श्रीमती, कुमारी आदि न लिखें।

प्रवक्ता ने बताया कि एक्सल शीट में डाटा अपलोड करने के उपरान्त उन मामलों के नामांकन पत्र अलग से डाक के माध्यम से प्रेषित न करें जिन मामलों के पहले ही महालेखाकार कार्यालय को फॉर्म भेजे जा चुके हैं। जिन मामलों में नामांकन पत्र अभी तक कार्यालय को नहीं भेजे गये है उन मामलों में पहले एक्सल शीट भेजें तथा सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्यालय वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करके एक प्रति कार्यालय के अभिलेख में रखें व फोटो प्रति नामांकन पत्रों के साथ लगाकार ही फार्म महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करें ताकि कार्य की गति व नामांकन पत्र स्वीकार करने में विलम्ब न हों।

जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जिला मण्डी में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला में उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिला सोलन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, जिला चम्बा में कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार तथा जिला हमीरपुर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, जिला ऊना में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिला शिमला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, जिला सिरमौर के नाहन में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ज़िला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस.बाली और जिला लाहौल–स्पिति के केलांग में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ धर्मशाला में, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार तथा संजय अवस्थी स्वास्थ्य मंत्री के साथ सोलन में तथा मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह के साथ शिमला में उपस्थित रहेंगे।

अग्निवीर वायु प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अन्तिम तिथि 17 अगस्त

शिमला/शैल। भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश जनवरी, 2024 के लिए चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरूष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कमांडिंग आफिसर विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और 17 अगस्त, 2023 को रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्तूबर, 2023 से ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि 27 जून, 2003 से 27 दिसम्बर, 2006 के बीच जन्में युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे, जिसमें यह दोनों तिथियां भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के तहत विज्ञान विषय तथा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के अभ्यर्थी पात्र होंगे। पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तृत जानकारी तथा चिकित्सा मानक, नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण के लिए निर्देश इत्यादि के बारे में https://agnipathvayu.cdac.in पर लॉग ऑन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023

G20 भारत 2023 INDIA

हमारा साझा विज़नः

2023-24 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट तथा 2040 तक 50000 मेगावाट

जल विद्युत | पवन विद्युत | सौर विद्युत | विद्युत पारेषण | ताप विद्युत | पॉवर ट्रेडिंग

प्रचालनाधीन परियोजनाएंः

- 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन
- 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत स्टेशन
- 47.6 मेगावाट खिरवीरे पवन विद्युत स्टेशन
- 5.6 मेगावाट चारंका सौर पीवी विद्युत स्टेशन
- 50 मेगावाट साडला पवन विद्युत स्टेशन
- एनजेएचपीएस में 1.31 मेगावाट ग्रिड कनैक्टिड सौर विद्युत स्टेशन
- 75 मेगावाट परासन सौर विद्युत स्टेशन
- 400 केवी, डी/सी क्रास बार्डर ट्रांसमिशन लाईन (भारतीय हिस्सा)

विकासाधीन परियोजनाएंः

- भारत के विभिन्न राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं
- नेपाल में जल परियोजनाएं
- बिहार में ताप परियोजना
- भारत के विभिन्न राज्यों में सौर एवं पवन विद्युत परियोजनाएं
- ट्रांसमिशन लाइनों का निष्पादन

एसजेवीएन
SJVN

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
एक 'मिनी रत्न' एवं शेड्यूल 'ए' पीएसयू । एक आईएसओ 9001:2005 प्रमाणित कम्पनी

पंजीकृत कार्यालय : एसजेवीएन लिमिटेड, शक्ति सदन, कॉरपोरेट मुख्यालय, शनान, शिमला–171006, हिमाचल प्रदेश (भारत)
एक्सीपीडाइटिंग कार्यालय : ऑफिस ब्लाक, टॉवर–1, 6वीं मंजिल, एनबीसीसी कॉम्पलैक्स, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 (भारत)
वेबसाइट : www.sjvn.nic.in

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या कांग्रेस में उन विद्रोहियों की वापसी हो रही है जिन्होंने चुनावों में गद्दारी की है

जल उपकार आयोग में हुई ताजपोशीयों से उठी चर्चा क्या जल उपकर आयोग वांछित परिणाम दे पर पायेगा

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछले दिनों जल उपकर आयोग का गठन किया है। इसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य नियुक्त किये गये हैं। आयोग का अध्यक्ष जल शक्ति विभाग से सेवानिवृत्त हुये सचिव अमिताभ अवस्थी को लगाया है। अवस्थी कांगड़ा के धर्मशाला के रहने वाले हैं जबकि तीनों सदस्य जिला शिमला के रहने वाले हैं। इनमें से धरेला सेवानिवृत्त इंजीनियर है और जोगिन्दर कवंर तथा अरुण शर्मा राजनीतिक कार्यकर्ता है। अरुण शर्मा एक समय शिमला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जोगिन्दर कंवर कांग्रेस के पिछले विधानसभा चुनावों में मुखर विरोधी रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप राठौर के विरुद्ध उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी विजय पाल खाची का हर तरह से खुलकर समर्थन किया है। शिमला और अन्य स्थानों में पर भी उन्होंने चुनावों में भाजपा का खुलकर समर्थन किया है। जोगिन्दर कंवर कॉलेज और विश्वविद्यालय में शायद मुख्यमंत्री के निकट सहयोगी रहे हैं। वैसे जोगिन्दर कंवर एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता और भरोसेमंद मित्र माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अन्दर इस ताजपोशी से सवाल उठे हैं यदि समय रहते उन्हें शान्त न किया गया तो कभी भी एक बड़ा विस्फोट सरकार और संगठन के बीच हो सकता है। क्योंकि सुक्खू की सरकार पर मित्रों की सरकार होने का जो आरोप विपक्ष लगा रहा था वही आज कांग्रेस के अपने भीतर से भी उठने लग पड़ा है।

जल उपकर अधिनियम सुक्खू सरकार ने ही पारित किया है। लेकिन भारत सरकार ने इस अधिनियम को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुये केन्द्र के स्वामित्व वाली जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन को बाकायदा पत्र भेजकर यह उपकर न देने और इसका पुरजोर विरोध करने का निर्देश दिया है। सरकार के मुताबिक कुछ प्राइवेट सैक्टर के उत्पादकों ने यह उपकर लागू करने पर सहमति जताई है। लेकिन कुछ उत्पादकों ने इस अधिनियम को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दे रखी है और मामला अदालत के विचार अधीन है। इस अधिनियम को उच्च न्यायालय ने स्टे नहीं किया है इसीलिए सरकार जल उपकर आयोग का गठन कर पायी है। यदि उच्च न्यायालय इस अधिनियम के पक्ष में भी निर्णय देता है तो भी यह मामला अपील में सर्वोच्च न्यायालय जायेगा। क्योंकि केन्द्र सरकार इसका विरोध कर रही है। जिन राज्यों ने ऐसा जल उपकर लगा रखा है वहां पर शायद केन्द्र के सीधे स्वामित्व वाली परियोजनाएं नहीं है। पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी इस उपकर का विरोध कर रही हैं। अभी हिमाचल सरकार ने किसी भी जल विद्युत उत्पादक को जल उपकर के बिल नहीं भेजे हैं। माना जा रहा है कि यह उपकर देने वाली हिमाचल सरकार के स्वामित्व वाली परियोजनाएं ही न रह जायें। वैसे भी जल उपकर आयोग का दखल तो इस उपकर के तहत उत्पादक को दिये जाने वाले बिल और जल शक्ति विभाग के मध्य आये किसी विवाद पर ही शुरू होगा। ऐसे में इस उपकर के माध्यम से जो राजस्व जुटाने की योजना बनायी गयी थी उसे पूरा होने में लम्बा समय लगेगा। तब तक यह आयोग एक राजनीतिक बहस का विषय होकर ही रह जायेगा।

इस परिदृश्य में सरकार पर अपनो के ही जो आक्षेप आने शुरू हो गये हैं उनके परिणाम गंभीर होने की आशंका बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब तक सरकार ने जितनी गैर विधायकों की ताजपोशीयां की हैं उनमें शायद 95% से भी अधिक अकेले जिला शिमला से ही है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिला शिमला के बाहर कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ता है ही नहीं? यह भी चर्चा है कि इतनी सारी ताजपोशीयां शिमला से ही करके यहां के चुने हुये विधायकों के खिलाफ भी समानान्तर सत्ता केन्द्र तो नहीं खड़े किये जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को मुख्यमंत्री से काम करवाने के लिये यह सत्ता केन्द्र आसानी से उपलब्ध रहेंगे। इसी के माध्यम से लोगों का अपने मंत्रियों विधायकों के पास या हॉली लॉज जाना भी कम हो जायेगा। इस समय यह आरोप तो मंत्रियों से भी आने शुरू हो गये हैं कि मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बाद भी सचिव और विभागाध्यक्ष के स्तर पर इनके काम नहीं हो रहे हैं। शायद सारे अधिकारी मुख्यमंत्री ने अपने ही पास केंद्रित कर रखे हैं।

यहां तक चर्चाएं चल पड़ी हैं कि कल तक जो विधायक आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने के लिये प्रयास कर रहे थे अब वह भी मन्त्री बनने के ज्यादा इच्छुक नहीं रह गये हैं। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तनावपूर्ण राजनीतिक स्थितियां बनेंगी। एक-एक सीट के लिये मारकाट होगी। भाजपा अभी से आक्रामक होती जा रही है। जबकि कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं है। जो आरोप कल तक बतौर विपक्ष कांग्रेस भाजपा पर सदन के भीतर और बाहर हमले करती थी उन हमलों की धार इन आठ माह में बुरी तरह पूर्ण हो चुकी है क्योंकि सरकार व्यवस्था बदलने में लगी थी। इसी सूत्र के कारण आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं ही आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि सही में सत्ता बदल चुकी है। सरकार ने अपने आठ माह के कार्यकाल में अपनों से ज्यादा भाजपाइयों के हितों की रक्षा की है। शिमला कांग्रेस का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था लेकिन अनुपात से अधिक ताजपोशीयों ने इस दुर्ग को भी अन्दर से खोखला कर दिया। इसका असर पूरे प्रदेश पर पढ़ने जा रहा है। क्योंकि जितना प्रतिनिधित्व अकेले शिमला को दे दिया गया उतना अन्य जिलों को दिया जाना संभव ही नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप कल लोकसभा चुनावों में न विधायकों और न कार्यकर्ताओं के पास कुछ परोसने को होगा। हां यह माना जा रहा है की जोगिन्दर कंवर की ताजपोशी के बाद कांग्रेस के हर उस विद्रोही की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है जिस पर चुनावों में पार्टी के साथ गद्दारी करने के आरोप लगे हैं।

हिमाचल पुलिस द्वारा खनन माफिया पर कड़ी कारवाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध खनन माफिया के विरूद्ध कड़ी कारवाई की जा रही है। वर्ष 2022 के दौरान अवैध खनन के 6686 चालान किये गये हैं, जिनमें से 5998 चालान कम्पाउंड करके उलंघनकर्ताओं से 03 करोड़ 61 लाख 12 हजार 700 रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जब कि शेष 688 चालान न्यायालयों को भेजे गये थे। न्यायालय द्वारा उलंघनकर्ताओं से 25 लाख 76 हजार रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध खनन के 39 अभियोग भी पंजीकृत किये गये थे। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 716 वाहनों को पकडा गया था।

जबकि अवैध खनन माफिया के विरूद्ध पुलिस द्वारा दिनांक 01.01.2023 से 31.07.2023 तक अवैध खनन के 4360 चालान किये गये हैं, जिनमें से 3506 चालान कम्पाउंड करके उलंघनकर्ताओं उसे 02 करोड़ 71 लाख 64 हजार 640 रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया है और शेष 854 चालान न्यायालयों को भेजे गये, न्यायालय द्वारा उलंघनकर्ताओं से 06 लाख 38 हजार रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध खनन के 29 अभियोग भी पंजीकृत किये गये है। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 1234 वाहनों को भी पकडा गया है।

इससे पूर्व खनन माफिया के 07 अभियोग ई.डी. को आगामी कार्यवाही हेतु भेजे जा चुके हैं जिनमें 11.05 करोड रूपये की सम्पति शामिल है। यह आंकडे दर्शाते हैं कि प्रदेश पुलिस द्वारा खनन माफिया के विरूद्ध जीरो टालरैंस की निति अपनाई जा रही है और अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कारवाई की जा रही है।

यह है अवैध खनन माफिया के विरूद्ध की गई कारवाई का जिलावार विवरण

Name of Distt.	No. of Cases registered	No. of Challans	Compounded by Police	Fine realized by the Police	Sent to Court	Fine realized by the court	Vehicles Seized	
							Cases	Challans
BBN	06	306	306	4183500	00	00	06	300
BPR	00	143	126	649130	17	37000	00	138
CBA	00	433	314	1341500	119	00	00	00
HMR	01	348	308	1756700	40	25000	00	00
KGR	01	511	474	2229400	37	7000	06	00
KNR	00	156	149	498700	07	00	00	00
KLU	02	199	113	644300	86	317000	00	00
L&S	00	64	52	265200	12	00	00	00
MDI	00	583	348	1883800	235	00	00	00
NPR	03	471	376	6288350	95	00	26	71
SML	00	78	71	381700	07	00	00	14
SMR	12	448	423	2661000	25	107000	29	00
SLN	00	40	16	93100	24	00	00	36
UNA	04	580	430	4288260	150	145000	28	580
Total	29	4360	3506	27164640	854	638000	95	1139